दार्जिलिंग। गोरखा मुक्ति मोर्चा की ट्रेड यूनियन ने गोरखालैंड आंदोलन के लिए दार्जिलिंग हिल्स में फैले चाय बागानों के कर्मचारियों से धन संग्रह अभियान शुरू किया है।

जीजेएम सूत्रों ने बताया कि कल शुरू किए गए इस अभियान के तहत करीब 60 लाख रूपये जुटाए जाने हैं।

इस भूभाग में 87 चाय बागान हैं और वहां 65,000 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी मोर्चा से संबद्ध दार्जिलिंग तराई डूअर्स प्लान्टेशन लेबर यूनियन के सदस्य हैं और उनकी दैनिक आय 90 रूपये है।

दार्जिलिंग सदर 1 क्षेत्र की इकाई ने मोर्चा अध्यक्ष को बिमल गुरुंग को आज 1,400 किग्रा चावल 50,000 रूपये सौंपे जो इकाई ने एकत्र किए थे।

समारोह में अपने संबोधन में गुरुंग ने कहा ''हम आभारी हैं कि हमारे लोग अपनी इच्छा से हमें यह दे रहे हैं। हमें बताया गया है कि चाय बागान के कर्मचारी अपनी दैनिक आमदनी से भी कुछ राशि दान देंगे और हमारी ट्रेड यूनियन संग्रह में मदद के लिए एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुकी है।''

दार्जिलिंग तराई डूअर्स प्लान्टेशन लेबर यूनियन के महासचिव सूरज सुब्बा ने कहा कि कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से योगदान कर रहे हैं।

उन्होंने बताया ''कर्मचारी खुद ही आकर हमारी स्थानीय इकाइयों को दान दे रहे हैं। धन संग्रह के लिए कोई आह्वान नहीं किया गया। हमारी यूनियन संग्रह में समन्वय कर रही है।'' यह पहला अवसर है जब मोर्चा लोगों से धन संग्रह कर रहा है। वर्ष 1986 में जीएनएलएफ ने गोरखलैंड के आंदोलन के दौरान इसी तरह लोगों से धन जुटाया था।

सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि मोर्चा की दार्जिलिंग सदर 1 यूनिट के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी धन एवं चावल संग्रह किया जा रहा है।

पृथक राज्य के आंदोलन के लिए छात्र भी धन जुटा रहे हैं।

समझा जाता है कि सिनकोना बागानों के कर्मचारियों से भी संग्रह किया जाएगा। उनकी दैनिक आय 183 रूपये है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 5,000 है। अब तक सिनकोना और चाय बागान आंदोलन के दायरे से बाहर रहे हैं।

यह अभियान ऐसे समय पर चलाया जा रहा है जब राज्य सरकार गोरखालैंड आंदोलन के लिए धन देने वालों की धरपकड़ में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि एक व्यवसायी अशोक पेरीवाल को एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करने तथा उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव को 12 फरवरी को काले झंडे दिखाने के आरोप में कल रात कलिमपोंग से गिरफ्तार किया गया।

सूत्रों ने बताया कि पेरीवाल पर मोर्चा को कथित तौर पर धन देने के आरोप में पुलिस पहले से ही नजर रखे हुए थी।

पेरीवाल के वकील ने बताया कि उन्हें कलिमपोंग से नहीं बल्कि सिलिगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, मोर्चा के महासचिव रोशन गिरि ने बताया कि संगठन ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर 14 अगस्त को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

याचिका में उन्होंने कहा है कि 2 और 3 सितंबर को लेपचा समुदाय के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग हिल्स आई थीं और तब 'घर भित्रा जनता' (स्टे एट होम) कार्यक्रम चलाया गया था। गिरि के अनुसार, यह कार्यक्रम गैरकानूनी था।

(भाषा)